

ओउम्

कार्यालय	:-	उपनिबन्धक द्वितीय आगरा।
किस्म दस्तावेज	:-	बैनामा !! विक्रय पत्र !!
भूमि का प्रकार	:-	आवासीय/प्लाट।
वार्ड/परगना	:-	तहसील व जिला आगरा।
मौहल्ला/ग्राम	:-	वाकै सविता बिहार, मौजा पथौली, तहसील व जिला आगरा।
सम्पत्ति का विवरण	:-	जो कि एक किता प्लाट नम्बर-, खसरा नम्बर- 406 वतादादी वर्गमीटर, पैमायशी पूरब से पश्चिम फीट, उत्तर से दक्षिण फीट, यह भूखण्ड पूर्ण रूप से खुला है, जिस पर कोई निर्माण नहीं है। साथ संलग्न नक्शे में व रंग लाल से दर्शाया गया है। कोर्नर, पार्क फेस व दो रास्ते का नहीं है। जिसका मानचित्र एडीए द्वारा दिनांक 28.12.2022 ई0 को स्वीकृत हो चुका है, जिसकी फाइल सं0 एडीए/एलडी/22-23/0726 है जिसकी रेरा सं0 है।

सहकारी आवास समिति के सदस्या से सम्बन्धित है :- हाँ।

सड़क की स्थिति	:-	विक्रीत प्लाट फीट चौड़ा मार्ग पर स्थित है।
बैनामा तादादी	:-	/- रूपया।
बाजारी कीमत	:-	/- रूपया।
स्टाम्प शुल्क	:-	/- रूपया।
सर्किल रेट	:-	9,500/- रूपया आति वर्ग मीटर जो कि पेज नं0 48 की क्रम सं0 115 पर अंकित है।

सीमायें	:-	
पूरब	:-	.
पश्चिम	:-	.
उत्तर	:-	.
दक्षिण	:-	.

प्रथम पक्ष विक्रेता :-

श्री स्नेह सहकारी आवास समिति लि0 आगरा (आयकर स्थाई लेखा संख्या ए ए आई ए एस 4021 एल)
निबन्धन संख्या 2875 दिनांक 01/10/2001 ई0 द्वारा सचिव श्री सुनील सिंह पुत्र स्व0 श्री विशन सिंह
निवासी ग्राम पथौली, तहसील व जिला आगरा।
मो0 नं0 9828642016

द्वितीय पक्ष क्रेता :-

.....

विदित हो कि उक्त प्लाट को वशमूल दीगर जमीन के प्रथम पक्ष विक्रेता समिति ने वजरिये बैनामा
दिनांक ../.../..... ई0 जिसका इन्द्राज कार्यालय उप निबन्धक आगरा में बही नम्बर 1 जिल्द

के सफा/..... में व नम्बर पर दिनांक/...../..... ई0 दर्ज हुआ है। के खरीद किया तारोज खरीदारी से उक्त प्लॉट की प्रथम पक्ष विक्रेता समिति तनहा मालिक काविज व दखील चला आता है। सिवाय समिति उक्त के दीगर हकदार व हिस्सेदार किसी किस्म का प्लॉट मजकूर में नहीं है कि जो माने किसी प्रकार के इन्तकाल बगैरा का होवे प्लॉट मजकूर आज तक हर प्रकार के ऋण भार आदि दोषों से पूर्णतः मुक्त है। जिसको प्रथम पक्ष विक्रेता समिति विक्रय करने में पूर्ण सक्षम है। क्रेता सदस्य द्वितीय पक्ष प्लॉट मजकूर को समिति के नियमानुसार प्राप्त करना चाहती है। समिति सचिव को प्लॉट मजकूर के विक्रय के अधिकार वहैसियत सचिव के प्राप्त हैं।

अतः खूब सोच व समझकर पूर्ण स्वेच्छा तथा चेतन्यता के साथ ना खाये पिये किसी नशीली वस्तु के विला बहकाये व सिखाये व विला किसी दवाब नाजायज के प्लॉट मजकूर को समिति द्वारा निर्धारित मूल्य राशि व एवज मुवलिग/- रुपया के आधे जिसके मुवलिग/- रुपया होते हैं में बदस्त
.... उपरोक्त क्रेता सदस्या द्वितीय पक्ष के बैय कतई किया और बेच दिया।

कीमत का कुल/- रुपया द्वितीय पक्ष क्रेता सदस्या ने प्रथम पक्ष विक्रेता समिति/फर्म के लेखा विभाग में नियमानुसार इस प्रकार जमा किया

के जमा कर दिये हैं।

जिनका कि प्रथम पक्ष विक्रेता वहैसियत सचिव/पार्टनर श्रीमान् सबरजिस्ट्रार साहब आगरा के समक्ष इकबाल करुंगा।

लिहाजा कब्जा व दखल प्लॉट मुवैया मजकूर पर खरीदार द्वितीय पक्ष सदस्य का करा दिया और मालिक मुस्तकिल बना दिया अब क्रेता सदस्य को अधिकार है कि वह प्लॉट मुवैया मजकूर से वहैसियत मालिक चाहे जिस तरह लाभान्वित होवे व फायदा उठावे अन्य सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुये प्लॉट मजकूर पर निर्माण करावे व समिति के नियमानुसार रहन व बैय व हिबा आदि जो चाहे सो करे कुछ उजर न होगा। बाद तकमील बैनामा हाजा खरीदार द्वितीय पक्ष अपने नाम का दाखिल खारिज सम्बन्धित दफ्तरान में वजरिये बैनामा हाजा वहैसियत मालिक दर्ज करा लें प्रथम पक्ष विक्रेता अपनी रजामन्दी दे देगा व रजामन्दी देने को पावन्द रहेगा।

बाद तकमील बैनामा हाजा प्रथम पक्ष विक्रेता समिति की किसी त्रुटि वश प्लॉट मुवैया मजकूर का कुल या जुज हिस्सा खरीदार द्वितीय पक्ष के अधिकार व कब्जा से निकल जावे या किसी को कुछ रुपया अदा या खर्चा करना पडे तो उस कुल की जबाव देही व जिम्मेदारी मय अदायगी जर समन के प्रथम पक्ष विक्रेता समिति व उसके स्थानापन्नो समिति की होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता उक्त विक्रेता समिति के विधिवत सदस्य है। समिति के नियम व उपनियम व शर्तें क्रेता उक्त पर लागू व प्रभावी होंगें व रहेंगें।

लिहाजा बाद सुनने व समझने जुमला मजमून के यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे तहरीर तारीख .../.../2024 ई0 व मसौदा दस्तावेज लेखक सदर तहसील आगरा व इकरार पक्षकारान के टन्कण कराया गया।

गवाह-

गवाह-